न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—496 / 2025 / 225 आर.टी.एक्ट (2025 / 496)

1. नानाराम पुत्र गीला
2. छोटू पुत्र गीला
3. प्रकाश पुत्र रामधन
4. जयराम पुत्र कल्याण
5. मानी पत्नी तुलसीराम

   समस्त जाति कहार, निवासी सदारा, तहसील सावर जिला अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. छीतर पुत्र सूरजमल
2. मनोज पुत्र जगदीश
3. रमेश पुत्र जगदीश
4. पप्पू पुत्र जगदीश
5. रघुवीर पुत्र रामेश्वर
6. आशाराम पुत्र रामेश्वर
7. भागचन्द पुत्र सोहन
8. मनभर पुत्री सोहन
9. रूपचन्द पुत्र सोहन
10. शिमला पुत्री सोहन
11. लादी पत्नी सोहन

    समस्त जाति कहार निवासी सदारा तहसील सावर जिला अजमेर।
12. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, सावर तहसील सावर जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सावर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.06.2025 राजस्व वाद संख्या 122 / 2023 (2023 / 68)

उपस्थितः—

1. श्री आर0पी0शर्मा अभिभाषक अपीलांट
2. श्री गिरीश शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6
3. श्री विकास पाराशर राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 12
4. रेस्पोडेंट संख्या 7 से 11 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः— 30.03.2026

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सावर द्वारा प्रकरण संख्या 122 / 2023 (2023 / 68) में पारित आदेश दिनांक 20.06.2025 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 6 ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कार्यवाही करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए स्वीकार किए जाने के आदेश पारित किए गए। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सावर द्वारा प्रकरण संख्या 122/2023 (2023/68) में पारित आदेश दिनांक 20.06.2025 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 7 से 11 अनुपस्थित।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी, सावर द्वारा पारित निर्णय प्रार्थीगण के पीठ पीछे पारित किया गया है जो पेटेन्ट इलिगल निर्णय की परिभाषा में आता है एवं कानूनन ऐसे निर्णयों को चुनौती देने की कोई समयावधि नहीं है फिर भी सब्जेक्ट टू टेकनिकल ऑबजेक्शन धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत है। न्याय का सुस्थापित सिद्धांत है कि मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना चाहिए। प्रार्थीगण अनपढ, मजदूर, गरीब काश्तकार है जिन्हें कानून की जानकारी नहीं है एवं यह न्याय का सुस्थापित सिद्धांत है कि मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाया जाना चाहिए। अन्य व्याख्यात बरवक्त बहस पेश किये जायेगें। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते है, क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है।

RBJ(13)2006

INDIAN LIMITATION ACT,1963-SECTION 5 - *CONDONATION OF DELAY-COURT SHOULD ADOPT LIBERAL APPROACH IN CONDONING DELAY.*

चूंकि अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में कहे गए कथन सत्य प्रतीत होते है। चूंकि परिसीमा नियमों का अभिप्राय यह है कि वे पक्षकारों के अधिकारो को नष्ट नहीं करे। चूंकि प्रथम अपील पक्षकार का वैधानिक व बहुमूल्य अधिकार है उसे विलंब के कारण समाप्त नहीं किया जा सकता जबकि अपीलांट का दुराश्य नहीं है। केवल तकनीकी आधारों पर व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता तथा नियमानुसार उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण गुणावगुण पर ही किया जाना विधिसम्मत है। प्रार्थी द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक होने से एवं न्यायहित में अपीलांट का धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में हुई देरी को क्षमा किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि विपक्षी द्वारा आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार बनाए बगैर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया था जो पोषणीय ही नहीं था। उक्त बिन्दु पर गौर नहीं कर अपोषणीय प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी, सावर ने कानूनी भूल की है। विपक्षी के पास पूर्व में ही वैकल्पिक रास्ता खसरा नंबर 2224 गै. मु. रास्ता मौजूद है जिसमें से होकर विपक्षीगण अपने खेत खसरा नंबर 2242, 2243 एवं 2245 में आते–जाते है जिस कारण नया रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। उक्त बिन्दु पर गौर नहीं कर उपखण्ड अधिकारी, सावर ने अपीलांट्स के विरूद्ध निर्णय पारित कर भारी कानूनी भूल की है। मौका रिपोर्ट बाबत् अपीलांट्स को किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया गया तथा मौका रिपोर्ट अपीलांट्स की पीठ पीछे तैयार की गयी जबकि यह न्याय का सुस्थापित सिद्धान्त है कि मौका रिपोर्ट दोनों पक्षों की उपस्थिति में तैयार की जानी चाहिए। उक्त बिन्दु पर गौर नहीं कर उपखण्ड अधिकारी, सावर ने अपीलांट्स के विरूद्ध निर्णय पारित कर भारी कानूनी भूल की है। अपीलांट को बिना जवाब का अवसर दिये आक्षेपित निर्णय अपीलांट के पीठ पीछे पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से काबिल निरस्त योग्य है। मौका रिपोर्ट सक्षम अधिकारी एवं पीठासीन अधिकारी द्वारा मौके पर जाकर तैयार नहीं की गयी जिस कारण भी उपखण्ड अधिकारी, सावर द्वारा पारित निर्णय काबिल निरस्त योग्य है। मौका रिपोर्ट में 5 (ख) में यह अंकन किया गया है कि ″जमीन के बदले जमीन देने में सहमत नहीं है″ ऐसी स्थिति में विपक्षीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम निरस्त योग्य था। उक्त बिन्दु पर गौर नहीं कर उपखण्ड अधिकारी, सावर ने अपीलांट्स के विरूद्ध निर्णय पारित कर भारी कानूनी भूल की है। विपक्षी ने जहां से रास्ते की मांग की है वहां पर कतई कोई रास्ता नहीं है अपितू

अपीलांट की खातेदारी की भूमि है जिसमें कोई रास्ता कभी भी नहीं रहा है अपितु खसरा नंबर 2224 जो कि गैर मुमकिन रास्ता है एवं यह न्याय का सुस्थापित सिद्धांत है कि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने पर नया रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता है उक्त बिन्दु पर गौर नहीं कर उपखण्ड अधिकारी, सावर ने अपीलांट्स के विरूद्ध निर्णय पारित कर भारी कानूनी भूल की है। उपखण्ड अधिकारी सावर द्वारा पारित निर्णय रेवेन्यु कोर्ट्स मैन्युअल, सी.पी.सी. के प्रावधानों के विपरीत होने से एवं रिजण्ड एवं स्पीकिंग नहीं होने से काबिल निरस्त योग्य है। उपखण्ड अधिकारी सावर द्वारा पारित निर्णय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से काबिल निरस्त योग्य है। उपखण्ड अधिकारी सावर द्वारा पारित निर्णय अपने आप में विरोधाभाषी है एवं काबिल निरस्तनीय है। उपखण्ड अधिकारी सावर द्वारा पारित निर्णय बिना न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग किए बिना कानूनी प्रावधानों का अवलोकन किए सरसरी तौर से पारित किया गया है जो काबिल निरस्त योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सावर द्वारा प्रकरण संख्या 122/2023 (2023/68) में पारित आदेश दिनांक 20.06.2025 को निरस्त किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2007 आरआरटी पार्ट (1) 125(एस0सी0), 2016 आरबीजे 539, 2021 आरबीजे 276, 2017 आरबीजे 687, 2019 आरबीजे 443, 2023 आरबीजे 338, 2020 आरबीजे 35, 2022 आरबीजे 436 प्रस्तुत किए हैं।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात ग्राम–सदारा, पटवार हल्का–सदारा की उपर्युक्त वर्णित आराजीयात में आने जाने हेतु मौके पर कोई रास्ता नहीं है ना ही नक्शा ट्रेस में आने जाने का कोई रास्ता दृशित है जिससे प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी की आराजी के उपयोग उपभोग में फसल काश्त करने हेतु आने–जाने में अनेकानेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। प्रार्थीगण का रास्ता कदीमी रूप से आराजीयात खसरा नं0 2246, 2239, 3216/2239 व 3215/2239 के मध्य मेड़ से होकर चला आ रहा है। इसी कदीमी रास्ते का उपयोग प्रार्थीगण व उसके परिवारजन निर्वाधरूप से करते आ रहे हैं। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के अपनी आराजीयात में आने जाने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं तथा लड़ाई झगड़ा करने पर आमादा है जिससे प्रार्थीगण को अपनी आराजी में आने जाने का संकट उत्पन्न हो रहा है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से निवेदन किया तो वे नहीं माने तथा अनावश्यक धमकियां देने लगे जिससे प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना लाजमी आया है। प्रार्थीगण को रास्ते की आवश्यकता आत्यांतिक है। अतः प्रार्थीगण की आराजीयात में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 2246, 2239, 3216/2239 व 3215, 2239 के मध्य मेड से होकर राजस्व रिकार्ड में रास्ते का अंकन करते हुए प्रार्थीगण को रास्ता दिलवाए जाने का निवेदन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

9. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/रेस्पोडेंट द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करते हुए प्रार्थी/रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दिनांक 20.06.2025 को स्वीकार किए जाने के आदेश पारित किए गए। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष प्रकरण में अपील प्रस्तुत की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दिनांक 08.06.2023 को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 व 10 कि ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में वकालतनामा प्रस्तुत किया गया व अप्रार्थीगण/अपीलांट्स द्वारा आदेशिका पर हस्ताक्षर भी किए गए व शेष अप्रार्थीगण के नोटिस तामील होने के बावजूद भी प्रकरण में अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 28.06.2024 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 व 10 को जवाब प्रस्तुत किए जाने के अनेक अवसर प्रदान किए जाने के उपरांत भी जवाब प्रस्तुत नहीं किए जाने से उनका जवाब बंद किया गया। दिनांक 20.06.2025 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 व 10 को भिन्न–भिन्न समय पर तीन आवाजे लगाए जाने के उपरांत भी अनुपस्थित रहने से उनकी एक्सपार्टी कर प्रकरण में निर्णय पारित किया गया।

इन समस्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि अपीलांट्स द्वारा नोटिस तामील होने के उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण में उपस्थित नहीं हुए व ना ही जवाब प्रस्तुत किया गया। यह तथ्य अपीलांट्स/अप्रार्थीगण की प्रकरण के प्रति लापरवाही को दर्शाता है। न्यायालय के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया जाना ही आवश्यक नहीं है, अपितु प्रकरण में नियत तारीख पेशी पर उपस्थित होकर प्रकरण में जागरूक रहना भी आवश्यक है। परंतु अपीलांट्स द्वारा वर्तमान प्रकरण में जागरूकता प्रकट नहीं की गई है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2073–2076 के अनुसार अपीलांट्स विवादित आराजीयात के रिकार्डेड खातेदार/काश्तकार दर्ज है, इसलिए अपीलांट्स को न्यायहित में एक समुचित अवसर प्रदान किया जाना उचित प्रतीत होता है, जिससे वह अपना पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जगरूकता से रख सके।

तहसीलदार द्वारा दिनांक 24.06.2024 को प्रकरण में मौका रिपोर्ट तैयार की गई, परंतु उक्त मौका रिपोर्ट बाबत उभयपक्षों को किसी प्रकार का कोई नोटिस/सूचना प्रेषित नहीं की गई। मौका रिपोर्ट के समय अपीलांट/अप्रार्थी अनुपस्थित होने से प्रकरण में एकपक्षीय मौका रिपोर्ट तैयार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की गई है। जिसके आधार पर प्रकरण में निर्णय पारित किया गया है। मौका रिपोर्ट तैयार करते समय तहसीलदार द्वारा नियम 69 की पालना किए बिना प्रकरण में मौका रिपोर्ट तैयार की गई है। उक्त मौका रिपोर्ट में व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में कितने फिट चौडा रास्ता प्रदान किया गया है इस बात का भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त विवेचनानुसार व अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय को निरस्त किया जाकर अपीलांट्स

को न्यायहित में एक समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

10. अतः अपील अपीलांट्स **2000/– रूपए** की कोस्ट पर आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सावर द्वारा प्रकरण संख्या 122/2023 (2023/68) में पारित आदेश दिनांक 20.06.2025 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती हैं कि अपीलांट्स द्वारा **2000/– रूपए** की राशि राजस्थान रेवेन्यू बार एसोसिएशन के खाते में जमा करवाकर उसकी रसीद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के उपरांत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को दर्ज कर प्रकरण से संबंधित पक्षकारान की तामीली विधिनुसार कर जवाब प्रस्तुत किए जाने के अधिकतम तीन अवसर प्रदान कर व मौका रिपोर्ट बाबत नोटिस जारी कर मौका रिपोर्ट तैयार करे व अपीलांट्स द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किए जाने के उपरांत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में न्यायसंगत कार्यवाही कर निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.04.2026 को उपस्थित रहने के लिए पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 30.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर